जिला गव्य विकास कार्यालय,

पलामू

पशुपालकों एवं लघु डेरी उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाः–

निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, झारखण्ड रांची के पत्रांक– 758, रांची, दिनांक–22.05.2018 के आलोक में सूचित करना है कि राज्य में ग्रामीण प्रगतिशील कृषकों/शिक्षित बेरोजगार/लघु डेयरी उद्यमियों को गव्य विकास के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र प्रायोजित डेरी उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत सरकारी अनुदान तथा बैंक ऋण के आधार पर निम्नवर्णित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हेतु नाबार्ड(NABARD) के माध्यम से सरकारी अनुदान उपलब्ध कराया जाना हैः–

क्र0	कार्यक्रम	योजना ईकाई मूल्य
1	2–10 उन्नत देशी नस्ल/शंकर नस्ल के दुधारू गाय/भैंस की लघु डेयरी फार्म की स्थापना(न्यूनतम 2 एवं अधिकतम 10 दुधारू पशु)	10 दुधारू पशुओं की इकाई के लिए 7.00 लाख रूपये
2	उन्नत देशी/शंकर नस्ल के हीफर रियरिंग की योजना (अधिकतम 20 हीफर)	20 हीफर के लिए 9.70 लाख रूपये
3	दुधारू मवेशी की इकाई के साथ बर्मी कम्पोस्ट की योजना	25200 रूपये
4	मिल्कींग मशीन/मिल्को टेस्टर/ बल्क मिल्क कूलर इकाई (अधिकतम 5000 लीटर की क्षमता) का क्रय	20.00 लाख रूपये
5	दुग्ध उत्पादों के निर्माण हेतु सयंत्रो का क्रय	13.20 लाख रूपये
6	दुग्ध उत्पादों के परिवहन एवं कोल्ड चेन की स्थापना	26.50 लाख रूपये
7	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	33.00 लाख रूपये
8	निजी पशु चिकित्सा क्लीनिक की स्थापना	चलंत क्लीनिक के लिए 2.60 लाख रूपये एवं स्थायी क्लीनिक के लिए 2.00 लाख रूपये
9	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के विपणन हेतु पार्लर की स्थापना	3.00 लाख रूपये

1. **लाभुकों की अहर्ताः–** कृषक, शिक्षित बेरोजगार, लघु डेयरी उद्यमी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, दुग्ध सहकारी समितियां, जिला दुग्ध संघ, मिल्क फेडरेशन एवं पंचायती राज्य संस्थाएं इत्यादि।
2. **अनुदानः–** सामान्य जाति के लिए 25 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए 33.33 प्रतिशत अनुदान।
3. **ऋण स्वीकृति हेतु वित्तीय संस्थानः–** व्यवसायिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण एवं शहरी बैंक/सहकारी बैंक/राज्य सहकारी एवं ग्रामीण बैंक एवं अन्य सभी वित्तीय संस्थान जो नाबार्ड(NABARD) से पुर्नवित्त पोषण के योग्य हैं।
4. **योजना कार्यान्वयन की पद्धतिः–** इच्छुक लाभुक जिला गव्य विकास कार्यालय, पलामू से निःशुल्क आवेदन प्राप्त कर अपने निकटतम बैंक शाखा/वित्तीय संस्थान से संपर्क कर आवेदन पत्र जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पलामू से अनुशंसित कराकर जमा करेंगे। संबंधित बैंक द्वारा लाभुक की अहर्ता के अनुरूप नियमानुसान वित्त पोषण करते हुए योजना अन्तगर्त अनुमान्य अनुदान की राशि नाबार्ड, रांची से प्राप्त करेंग।
5. इस सूचना को पलामू जिला के वेबसाईट http://www.palamu.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

26/05/2018

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
पलामू।

प्रपत्र–।।।

केन्द्र प्रायोजित डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS)अन्तर्गत

दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम के तहत बैंक ऋण सह सरकारी अनुदान पर दुधारू मवेशी क्रय हेतु आवेदन–पत्र

न0.....

शाखा प्रबंधक,

.....

.....

महोदय,

मैं.....के लिय रू0 .....

..... के ऋण के लिए आवेदन करता /करती हुँ।

1. योजना का नाम.....योजना राशि(रु0).....

अनुदान राशि(रू0).....बैंक ऋण की राशि.....लाभुक अंशदान.....

आवश्यक विवरणी

1. आवेदक का पूरा नाम.....पिता/पति का नाम.....

उम्र.....बी0पी0एल0 सं0 .....ग्राम.....पोस्ट.....

पंचायत.....प्रखण्ड .....जिला.....

2. (क)परिवार के मुखिया का नाम व संबंध .....

(ख)परिवार के सदस्यों की सं0:1. वयस्क.....2. अवयस्क.....

3. (क) क्या आवेदक अनु0 जन जाति/ अनु0 जाति/सामान्य जाति के है.....

(ख) लघु कृषक/ सीमांत कृषक/कृषि श्रमिक/गैर श्रमिक है .....

4. क्या आवेदक अथवा उनके परिवार के सदस्य पूर्व में गव्य विकास की योजना का अनुदान प्राप्त किये है.....

5. वर्तमान में कुल दूध उत्पादन.....

मैं एत्तद द्वारा घोषणा करता /करती हुँ कि उपर दिए गये विवरण मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है।

मैं उक्त उद्देष्य के लिए अन्य प्रतिष्ठान या किसी अन्य बैक से ऋण नहीं लिया हुँ।यदि यह सिद्ध होता है कि बताये गये तथ्य गलत प्रस्तुत किये गये हैं तो बैंक द्वारा ऋण सूविधा प्राप्त करने के अयोग्य जाना जायेगा।

आवेदक का नामः–.....

स्थानः–.....दिनांकः–.....

मोबाईल नं0..... आवेदक का हस्ताक्षर/अंगुठा का निषान

स्थानीय पंचायती राज के प्रतिनिधि की अनुशंसा

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पिता/पति.....

ग्राम.....पंचायत.....पोस्ट.....प्रखण्ड.....

जिला पलामू के निवासी है एवं इनका बी0पी0एल0 नं0.....खाता में दर्ज है।इन्हे योजना से लाभान्वित किये जाने के लिए अनुशंसा करता /करती हुँ।

मुखिया का हस्ताक्षर एवं मुहर

जिला परिषद के सदस्य/प्रतिनिधि की अनुशंसा

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पिता/पति.....
ग्राम.....पंचायत.....पोस्ट.....प्रखण्ड.....
जिला पलामू के निवासी है एवं इनका बी0पी0एल0 नं0.....खाता में दर्ज है।इन्हे योजना से लाभान्वित किये जाने के लिए अनुशंसा करता /करती हुँ।

जिला परिषद सदस्य/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर एवं मुहर

अंचल अधिकारी द्वारा भुमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि खाता सं0.....सर्वे संख्या.....ग्राम.....
कुल रकवा..... श्री/श्रीमती.....के नाम से दर्ज है।
आवेदक श्री/श्रीमती.....रजिस्टर–2 में दर्ज रैयत श्री.....का
.....(.संबंध है।)वंशावली के अनुसार आवेदक के हिस्से में .....(रकवा) भूमि आती है।

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बी0पी0एल0 संबंधी प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पिता/पति.....
ग्राम.....पंचायत.....पोस्ट.....प्रखण्ड.....
जिला पलामू के निवासी है एवं इनका बी0पी0एल0 नं0.....खाता में दर्ज है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

जिला गव्य विकास पदाधिकारी का अनुशंसा

श्री/श्रीमती.....पिता/पति.....
ग्राम.....पंचायत.....पोस्ट.....प्रखण्ड.....
परियोजना का नाम/ उद्देश्य.....प्रस्तावित ऋण राषि.....
आवेदन को उपर्युक्त वर्णित योजना के लिए ऋण स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

गव्य तकनीकी पदाधिकारी,
पलामू।

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
पलामू।

नोटः– अपूर्ण आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।